माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2015

राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय श्री गोविन्द प्रसाद शुक्ला उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम बदरांवतिवरियांन तह. सिरमोर जिला रीवा म0प्र0 ।

----- निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

रामकुमार तनय सियाशरण उम्र 77 वर्ष निवासी ग्राम बराकोठार तह. हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---- गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क. 481/अ.6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2015 अंतर्गत धारा 50 (1) म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यहकि, आराजी नं. 169 रकवा 0.053 हैक्टेयर व आराजी नं. 172 रकवा 0.611 हेक्टेयर स्थित ग्राम सिरखिनी पटवारी हल्का बोदा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के नामांतरण हेतु आवेदन निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नं. 172/1 रकवा 0.462 हैक्टे. का नामांतरण जरिये विक्रीनामा दिनांक 18.09.2008 निगरानीकर्ता के नाम नामांतरण का आदेश दिनांक 30.11.2012 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा पुर्नविलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है जिस पर व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जरिये व्यवहारवाद कमांक 255 ए13 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2014 के तहत जारी किया गया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

क्रमशः---2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3747–दो/2015 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-11-2015	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 481/अ–6/2011 –12 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश, भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी नं.169 रकवा 0.053 हैक्टेयर व आराजी नं.172 रकवा 0.611 हैक्टेयर स्थिति ग्राम सिरखिनी, पटवारी हल्का बोदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा के नामान्तरण हेतु आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नं.172/1 रकवा 462 हैक्टेयर का नामान्तरण जरिये विक्रीनामा दिनांक 18.09.2008 आवेदक के नामान्तरण का आदेश दिनांक 30.11.2012 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ओर उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है, जिस पर व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जरिये व्यवहार वाद क्रमांक 255ए/2013 में पारित आदेश दिनाक 15.02.2014 के तहत जारी किया गया है, जिस पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को व्यवहार वाद में चल रहे प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखे जाने का आवेदन दिया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर कोई सकारण निष्कर्ष दिये ही आवेदन पत्र को जरिये आदेश दिनांक 09.11.2015 से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि दोनों पक्षों के बीच नामान्तरण का वाद–विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर आवेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की और बताया कि इस	

भूमि के संबंध में स्वत्व के आधार पर एक मामला दीवानी न्यायालय में प्रचलित है और उसमें दीवानी न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 15.02.2014 है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय में नामान्तरण की कार्यवाही तब तक स्थगित रखी जानी चाहिए जब तक कि दीवानी न्यायालय से अंतिम निराकरण न हो जाये। इस पर तहसीलदार हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2015 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जोकि नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– प्रकरण में मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। बहस के समय आवेदक के अभिभाषक ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णयों की ओर इस न्यायालय की ओर ध्यान आर्कर्षित किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1987 सी.सी.एल.जे.(नोट नं. 65) प्रकरण क्रमांक 1183/1995 रामकली बनाम राजस्व मण्डल तथा रिट याचिका क्रमांक 1944/1996 बलराम बनाम बेदेहीशरण में पारित आदेश दिनांक 11.03.1999 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत किया गया नामान्तरण व्यवहार न्यायालय के अधीन होगा। इस कारण नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए। इन दोनों निर्णयों से यह स्पष्ट है कि क्योंकि व्यवहार न्यायालय के निर्णय से नामान्तरण के प्रकरण पर प्रभाव पड़ता है और अंततः व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अधीन ही नामान्तरण होगा, नामान्तरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार इस मामले में अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जब तक दीवानी न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता, नामान्तरण की कार्यवाही राजस्व न्यायालय चलने योग्य नहीं होगी, अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में स्थगित की जाती है। इस प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर किया जाकर वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश